

अनुसंधान प्रश्न

“भारत में झूठी एफआईआर के खिलाफ क्या उपाय हैं, जिसमें बीएनएसएस की धारा 528 (पूर्व धारा 482 सीआरपीसी) के तहत रद्द कराना, भजन लाल श्रेणियां, अग्रिम जमानत और झूठा केस करने वालों पर कार्रवाई शामिल हो?”

भारत में झूठी एफआईआर के खिलाफ उपलब्ध कानूनी उपाय: बीएनएसएस की धारा 528 (पूर्व धारा 482 सीआरपीसी), भजन लाल दिशानिर्देश, अग्रिम जमानत और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के खिलाफ कार्रवाई का विश्लेषण

सारांश

भारत में झूठी और दुर्भावनापूर्ण एफआईआर (FIR) के खिलाफ मुख्य कानूनी उपायों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528 (पूर्ववर्ती धारा 482 CrPC) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा एफआईआर को रद्द (quash) कराना शामिल है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने *State of Haryana v. Bhajan Lal* (1992) में मार्गदर्शक के रूप में सात श्रेणियां स्थापित की हैं। इसके अतिरिक्त, गिरफ्तारी की आशंका होने पर अभियुक्त BNSS की धारा 482 (पूर्ववर्ती धारा 438 CrPC) के तहत अग्रिम जमानत का कानूनी उपाय अपना सकते हैं। झूठी शिकायत या साक्ष्य गढ़ने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 193 (झूठे साक्ष्य के लिए दंड) के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
25	3	2025
19 उच्च न्यायालय • 6 सर्वोच्च न्यायालय		Gauhati High Court

विषय - सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	5
IV. मुकदमे का विवरण	7

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्घरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 भजन लाल दिशानिर्देशों के तहत एफआईआर को रद्द करना

उच्च न्यायालय BNSS की धारा 528 (पूर्ववर्ती धारा 482 CrPC) के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके उन मामलों में एफआईआर को रद्द कर सकता है जहां आरोप प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध नहीं दर्शाते या पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण और व्यक्तिगत रंजिश से प्रेरित हैं, जैसा कि *State of Haryana v. Bhajan Lal* (1992) में निर्धारित किया गया था (*Rajendra Pal v. State of Madhya Pradesh* (2023))।

02 नागरिक/व्यावसायिक विवाद को आपराधिक रूप देने के खिलाफ उपाय

जहां विशुद्ध रूप से सिविल या वाणिज्यिक विवादों को अभियुक्त को परेशान करने के इरादे से आपराधिक रूप दिया जाता है, वहां न्यायालय इसे न्याय की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए निरस्त कर देते हैं (*Vijay Kumar Ghai v. The State of West Bengal* (2022))।

03 पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द करना

गैर-गंभीर प्रकृति के व्यक्तिगत विवादों में यदि पक्षों के बीच समझौता हो जाता है और भविष्य में दोषसिद्धि (conviction) की कोई संभावना नहीं बचती, तो धारा 528 BNSS के तहत एफआईआर को रद्द किया जा सकता है (*Choki Yani v. State of AP* (2025))।

04 अग्रिम जमानत का विकल्प

यदि किसी व्यक्ति को झूठी एफआईआर के कारण गिरफ्तारी की गंभीर आशंका है, तो उसे सीधे तौर पर सुरक्षा पाने के लिए BNSS की धारा 482 (पूर्ववर्ती धारा 438 CrPC) के तहत अग्रिम जमानत याचिका दायर करनी चाहिए, न कि अंतर्निहित शक्तियों के तहत नियमित रूप से गिरफ्तारी पर पूर्ण रोक की मांग करनी चाहिए (*M/S Neeharika Infrastructure Pvt. Ltd. v. State of Maharashtra* (2021))।

05 झूठे साक्ष्य गढ़ने पर दंडात्मक कार्रवाई

यदि न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में दुर्भावना से जानबूझकर झूठे साक्ष्य गढ़े या दिए जाते हैं, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध IPC की धारा 193 के तहत सात वर्ष तक की कैद और जुर्माने की कठोर कार्रवाई शुरू की जा सकती है (*Section 193, Indian Penal Code*)।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि धारा 528 BNSS (या धारा 482 CrPC) के तहत एफआईआर रद्द करने का अधिकार क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, लेकिन इसका प्रयोग केवल अत्यंत दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। न्यायालय को इस चरण में साक्ष्यों की विश्वसनीयता जांचने के लिए "मिनी-ट्रायल" नहीं शुरू करना चाहिए, और न ही जांच एजेंसी के वैधानिक अधिकार में बेवजह हस्तक्षेप करना चाहिए (*State of Odisha v. Pratima Mohanty* (2021))। इसके अलावा, यदि आरोप पहली नज़र में कानूनन अपराध की श्रेणी में नहीं आते, जैसे कि वेब सीरीज में प्रयुक्त केवल अभद्र भाषा अश्लीलता (obscenity) नहीं बनती, तो एफआईआर को निरस्त कर दिया जाएगा (*Apoorva Arora & Anr. v. State (Govt. of NCT of Delhi) & Anr.* (2024))।

उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ

उच्च न्यायालयों ने प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर भी एफआईआर को रद्द किया है; उदाहरण के लिए, जब गैर-संज्ञेय (non-cognizable) मामलों में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच शुरू कर देती है, तो उसे रद्द कर दिया जाता है (*Petitioner v. Respondent* (2017))। हालांकि, यदि निचली अदालत में पहले ही आरोप तय (charges) किए जा चुके हैं या शिकायतकर्ता की गवाही दर्ज होना शुरू हो चुकी है, तो उच्च न्यायालय तथ्यों के मूल्यांकन के आधार पर रद्द करने की याचिका खारिज कर देते हैं (*Vidrum Singhvi v. The State of Rajasthan* (2013); *Vikash Kumar Sinha v. State of U.P. and Another* (2025))।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ

गंभीर सार्वजनिक अपराधों में समझौते की सीमा

यद्यपि पक्षों के बीच समझौता एफआईआर रद्द करने का आधार बनता है, लेकिन जबरन वसूली (extortion) या गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी जैसे जघन्य अपराधों में, जिनमें सार्वजनिक हित शामिल हो, केवल आपसी समझौते के आधार पर कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता (*Vishesh Aggarwal & Ors. v. State of NCT of Delhi & Anr.* (2023))।

वैकल्पिक उपचार होने पर अंतर्निहित शक्ति का अप्रयोग

यदि कोई अपराध संहिता के तहत सीधे शमनीय (compoundable) है (जैसे धारा 420 IPC), तो पक्षों को अंतर्निहित शक्तियों के तहत सीधे उच्च न्यायालय आने के बजाय पहले ट्रायल कोर्ट के समक्ष शमन (compounding) का विकल्प अपनाना चाहिए (*Pramod Sah v. State of H.P.* (2025))।

II. सांविधिक प्रावधान 3 प्रावधान

SECTION 528, BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA — SAVING OF INHERENT POWERS OF HIGH COURT

उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सुरक्षित रखता है ताकि इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी किया जा सके, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सके या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित किया जा सके।

"Section 528. Saving of inherent powers of High Court\n\nNothing in this Sanhita shall be deemed to limit or affect the inherent powers of the High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this Sanhita, or to prevent abuse of the process of any Court or otherwise to secure the ends of justice." उद्धृत: Sanjay Kumar Trivedi v. State of Chhattisgarh, Sofik Ali and 6 Ors. v. State of Assam, Choki Yani v. State of AP, Hengo Bam v. The State of AP, Shiv Prakash Singh v. State of U.P., Vikash Kumar Sinha v. State of U.P. and Another

SECTION 482, BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA — DIRECTION FOR GRANT OF BAIL TO PERSON APPREHENDING ARREST

गैर-जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तारी की आशंका होने पर उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को अग्रिम जमानत देने का अधिकार प्रदान करता है।

"Section 482. Direction for grant of bail to person apprehending arrest\n\n(1) When any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offence, he may apply to the High Court or the Court of Session for a direction under this section; and that Court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest, he shall be released on bail." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

SECTION 193, INDIAN PENAL CODE — PUNISHMENT FOR FALSE EVIDENCE

न्यायिक कार्यवाही या किसी अन्य चरण में जानबूझकर झूठा साक्ष्य देने या झूठे साक्ष्य गढ़ने के लिए दंड का प्रावधान करता है।

"193. Punishment for false evidence .—Whoever intentionally gives false evidence in any of a judicial proceeding, or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine; and whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

III. चर्चित मुकदमे

25 मुकदमे · सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Rajendra Pal v. State of Madhya Pradesh</i> MPHC010609882022	HIGH COURT OF MADHYA PRADESH	2023	दुर्भावनापूर्ण और रंजिश के कारण दर्ज बलात्कार की झूठी एफआईआर रद्द की गई।
02	<i>Vidrum Singhvi v. The State of Rajasthan</i> RJHC010544652012	HIGH COURT OF RAJASTHAN	2013	चार्जशीट दायर होने और अभियुक्त के फरार रहने पर एफआईआर रद्द करने से इनकार।
03	<i>Choki Yani v. State of AP</i> GAHC040003972025	GAUHATI HIGH COURT	2025	पक्षों में आपसी समझौते के बाद धारा 528 BNSS के तहत एफआईआर रद्द की गई।
04	<i>Vikash Kumar Sinha v. State of U.P. and Another</i> UPHC012506892025	ALLAHABAD HIGH COURT	2025	आरोप तय होने और गवाही शुरू होने के कारण रद्द करने की याचिका खारिज।
05	<i>Ashwani Gupta v. State of H.P.</i> HPHC010205932023	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2025	जांच चरण में साक्ष्यों के मूल्यांकन के अभाव में रद्द करने की याचिका खारिज।
06	<i>B.N. John v. State of U.P.</i> ESCR010000022025	SUPREME COURT OF INDIA	2025	लोक सेवक की लिखित शिकायत के अभाव में कानूनी बाधा मानकर कार्यवाही रद्द।
07	<i>Petitioner v. Respondent</i> HBHC010847732016	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2017	मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना गैर-संज्ञेय अपराध की पुलिस जांच रद्द की गई।
08	<i>Hengo Bam v. The State of AP</i> GAHC040013652024	GAUHATI HIGH COURT	2025	पक्षों द्वारा विवाद सुलझाने पर आपराधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु एफआईआर रद्द।
09	<i>Prithi Chand & Ors. v. State of Himachal Pradesh & Ors.</i> HPHC010411952025	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2025	आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के सिद्धांतों और सीमा की व्याख्या की गई।
10	<i>Vishesh Aggarwal & Ors. v. State of NCT of Delhi & Anr.</i> DLHC010129982023	HIGH COURT OF DELHI	2023	जबरन वसूली जैसे गंभीर सार्वजनिक हित के मामले में समझौता आधार पर रद्द करने से इनकार।
11	<i>Gagandeep Singh v. State of H.P.</i> HPHC010147632024	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2025	जीएसटी कानून के तहत प्रथम दृष्टया अपराध प्रकट होने के कारण याचिका खारिज।
12	<i>Ena Sharma v. State of Himachal Pradesh</i> HPHC010027602023	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2025	कॉपीराइट उल्लंघन और शोध पत्रों के विवाद में कानून की विवेचना की गई।
13	<i>State of Odisha v. Pratima Mohanty</i> ESCR010005312021	SUPREME COURT OF INDIA	2021	आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मिनी-ट्रायल करके एफआईआर रद्द करना अवैध घोषित।
14	<i>V.V.S. Rama Sharma & Ors. v. State of U.P. & Ors.</i> ESCR010008782009	SUPREME COURT OF INDIA	2009	एफआईआर के तथ्यों से कोई अपराध न बनने पर अधिकारियों के खिलाफ मामला रद्द।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
15	<i>Sofik Ali and 6 Ors. v. State of Assam</i> GAHC010077002025	GAUHATI HIGH COURT	2025	दुर्घटनावश हुई मौत के मामले में आपसी समझौते के बाद एफआईआर निरस्त की गई।
16	<i>Pramod Sah v. State of H.P.</i> HPHC010320312025	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2025	शमनीय अपराध (धारा 420 IPC) में सीधे धारा 528 BNSS के उपयोग को अनुपयुक्त माना।
17	<i>Apoorva Arora & Anr. v. State (Govt. of NCT of Delhi) & Anr.</i> ESCR010001992024	SUPREME COURT OF INDIA	2024	अभद्र भाषा को अश्लीलता न मानते हुए प्रथम दृष्टया अपराध न बनने पर एफआईआर रद्द।
18	<i>Rajendra v. State of U.P.</i> UPHC011477852025	ALLAHABAD HIGH COURT	2025	गंभीर चोट वाले मामले में जवाबी शिकायत होने पर भी याचिका खारिज।
19	<i>Mohinder Singh v. Chunni Lal Negi</i> HPHC010297092025	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2025	शिकायतकर्ता की मृत्यु पर एनआई एक्ट की कार्यवाही स्वतः समाप्त न होने का फैसला।
20	<i>Ravi Dev v. State of Uttarakhand</i> UKHC010033642024	HIGH COURT OF UTTARAKHAND	2024	एफआईआर और समनिंग आदेश को रद्द करने के न्यायिक सिद्धांतों की व्याख्या।
21	<i>Shiv Prakash Singh v. State of U.P.</i> UPHC012431522025	ALLAHABAD HIGH COURT	2025	पुराने दीवानी और प्रबंधकीय विवाद होने पर भी चोट लगने की एफआईआर रद्द करने से इनकार।
22	<i>Vijay Kumar Ghai v. The State of West Bengal</i> ESCR010000712022	SUPREME COURT OF INDIA	2022	व्यावसायिक विवाद को जबरन आपराधिक रंग देने और बहुविध शिकायतें दर्ज कराने पर एफआईआर रद्द।
23	<i>Sanjay Kumar Trivedi v. State of Chhattisgarh</i> CGHC010121432023	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2025	व्यक्तिगत द्वेष के कारण दर्ज की गई तथा कोई अपराध न दर्शाने वाली एफआईआर रद्द।
24	<i>Rajesh Parashar v. State of H.P.</i> HPHC010560292024	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2025	शांति भंग की कार्यवाही में अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता मानकर रद्द करने से इनकार।
25	<i>M/S Neeharika Infrastructure Pvt. Ltd. v. State of Maharashtra</i> ESCR010002172021	SUPREME COURT OF INDIA	2021	एफआईआर रद्द करने की याचिका के लंबित रहने पर बिना आधार 'गिरफ्तारी नहीं' के आदेश पर रोक।

IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

01 Rajendra Pal v. State of Madhya Pradesh

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2023-10-31 • MCRC/53890/2022

यह मामला Section 482 of the Code of Criminal Procedure के तहत FIR को रद्द करने की याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता पर बलात्कार और धमकी देने का आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने पाया कि FIR याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा शिकायतकर्ता के पति के खिलाफ दर्ज कराए गए एक अन्य मामले का बदला लेने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर की गई थी। इसके अतिरिक्त, घटना की रिपोर्ट करने में लंबी देरी और ठोस सबूतों का अभाव इस मामले को संदिग्ध बनाता है। न्यायालय ने State of Haryana v. Bhajan Lal में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए इसे प्रतिशोध की भावना से प्रेरित मामला माना और याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज FIR और सभी संबंधित legal कार्यवाही को रद्द कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने पाया कि बलात्कार और धमकी के ये आरोप पूर्णतः बदला लेने की भावना से दर्ज किए गए थे। भजन लाल दिशानिर्देशों, विशेष रूप से मार्गदर्शिका संख्या 7 (व्यक्तिगत रंजिश और दुर्भावना) के तहत, उच्च न्यायालय ने दर्ज झूठी एफआईआर को पूरी तरह से रद्द कर दिया।

“In view of the aforesaid guidelines laid down by the Supreme Court especially guideline No.7, I have no hesitation to say that it is completely a false case got registered just to create pressure so as to get the dispute settled between the parties. It is otherwise a malicious prosecution initiated with ulterior motive for wreaking vengeance. Thus, considering the overall circumstances existing in the case, I am of the opinion that it is a fit case where the FIR can be quashed.”

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2023

स्रोत MPHC010609882022

02 Vidrum Singhvi v. The State of Rajasthan

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2013-02-26 • CRLMP/2946/2012

याचिकाकर्ताओं ने Section 482, Cr.P.C. के तहत एक FIR को रद्द करने की मांग की थी जो Bikaner के Mahila Thana में Sections 498-A, 406 और 323, IPC के तहत दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (territorial jurisdiction) और झूठी FIR का तर्क दिया था। न्यायालय ने पाया कि संबंधित निचली अदालत में पहले ही charge-sheet दाखिल की जा चुकी है और याचिकाकर्ता अदालत के समक्ष पेश होने से बच रहे हैं। न्यायालय ने यह माना कि मामले की मेरिट पर टिप्पणी किए बिना, इस चरण पर FIR को रद्द करने के लिए अपनी निहित शक्तियों (inherent powers) का उपयोग करना उचित नहीं है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने अभियुक्तों द्वारा निचली अदालत के समक्ष गिरफ्तारी वारंट की अवहेलना करने और चार्जशीट पहले ही दायर हो जाने के कारण धारा 482 CrPC के तहत अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग को अनुपयुक्त माना।

“I am convinced that this is not a case in which inherent powers of this Court should be exercised to quash the FIR No.186/2012 of Mahila Thana, Bikaner particularly at this stage when the charge-sheet has already been filed against all the accused petitioners in the lower court. It is also very pertinent to note that all the accused- petitioners are being called by the lower court through warrant of arrest and the accused-petitioners are determined not to give their presence in the trial court.”

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2013

स्रोत RJHC010544652012

03 Choki Yani v. State of AP

GAUHATI HIGH COURT • 2025-03-17 • CRL.PETN./50/2025

यह मामला एक आपराधिक याचिका (Criminal Petition) से संबंधित है, जिसमें पक्षकारों ने अपने आपसी विवाद को सुलझा लिया है। मूल FIR में बलात्कार और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि, बाद में शिकायतकर्ता और अन्य आरोपियों के बीच समझौता हो गया और उन्होंने न्यायालय को सूचित किया कि वे अब शांतिपूर्वक रह रहे हैं। माननीय न्यायालय ने अवलोकन किया कि चूंकि विवाद का निपटारा हो चुका है, इसलिए मामले में दोषसिद्धि (conviction) की कोई संभावना नहीं है। अतः न्यायालय ने Section 528 of the BNSS, 2023 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द (quash) कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने धारा 528 BNSS के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया, क्योंकि दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से अपने विवादों को सुलझा लिया था और आगे मुकदमे को जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना गया।

“since the parties have settled their disputes, this Court has reason to hold that there is no possibility of future conviction in this case. Thus, allowing the criminal proceeding to continue before the trial court, would be noting but an abuse of the process of the court.”

GAUHATI HIGH COURT • 2025

स्रोत GAHC040003972025

04 Vikash Kumar Sinha v. State of U.P. and Another

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025-08-18 • NA528/18751/2025

यह मामला Section 528 BNSS के तहत आपराधिक कार्यवाही और चार्जशीट को रद्द करने की याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह विवाद मुख्य रूप से व्यावसायिक है और उनके खिलाफ मामला झूठा है। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत में पहले ही आरोप तय (charge framing) किए जा चुके हैं और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज होने के साथ ही मुकदमे की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। न्यायालय ने स्थापित कानूनी सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि इस चरण में तथ्यों की जांच नहीं की जा सकती। समान परिस्थिति वाले एक सह-अभियुक्त की याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है, इसलिए न्यायालय ने वर्तमान आवेदन में कोई मेरिट न पाते हुए इसे खारिज कर दिया।

निर्णय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब मुकदमा शुरू हो चुका हो और निचली अदालत के समक्ष गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हों, तो धारा 528 BNSS के तहत साक्ष्यों की साराहना या मिनी-ट्रायल नहीं किया जा सकता।

“The trial has already been commenced and statement of informant has been recorded before the trial court. At this stage evidence of informant, led before the trial court, cannot be appreciated by this Court as the same has to be considered by the trial court... The submissions raised by learned counsel for the applicant call for determination on questions of fact, which may adequately be discerned / adjudicated only by the trial court.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025

स्रोत UPHC012506892025

05 Ashwani Gupta v. State of H.P.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2025-07-07 • CRMM0/601/2023

यह मामला एक FIR को रद्द करने की याचिका से संबंधित है, जो IPC की धारा 504 और 506 तथा SC&ST Act की धारा 3(1)(s) के तहत दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता, जो एक बैंक प्रबंधक हैं, ने तर्क दिया कि FIR पूरी तरह से गलत है और प्रतिशोध के रूप में दर्ज की गई है क्योंकि उन्होंने ऋण के लिए एक अनुचित मांग को अस्वीकार कर दिया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि FIR में लगाए गए आरोप SC&ST Act के तहत अपराध के लिए आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं करते हैं। उच्च न्यायालय ने मामले पर विचार करते हुए कहा कि जांच के चरण में साक्ष्यों का सूक्ष्म मूल्यांकन नहीं किया जा सकता और यदि अपराध के तत्व मौजूद हैं, तो इसे ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

निर्णय न्यायालय ने स्थापित किया कि भजन लाल के सिद्धांतों के तहत रद्द करने की शक्तियां बहुत सावधानी से लागू की जानी चाहिए। यदि प्रथम दृष्टया आरोप किसी संज्ञेय अपराध को जन्म देते हैं, तो विस्तृत तथ्यों की विवेचना का अधिकार केवल ट्रायल कोर्ट को है।

“Where the allegations made in the first information report or the complaint, even if they are taken at their face value and accepted in their entirety, do not prima facie constitute any offence or make out a case against the accused. (2) Where the allegations in the first information report and other materials, if any, accompanying the FIR do not disclose a cognizable offence, justifying an investigation by police officers under Section 156(1) of the Code except under an order of a Magistrate”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2025

स्रोत HPHC010205932023

06 B.N. John v. State of U.P.

SUPREME COURT OF INDIA • 2025-01-01 • 2025 INSC 4

यह मामला एक हॉस्टल के मालिक द्वारा अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग से संबंधित है। न्यायालय ने पाया कि Section 186 of the IPC के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए Section 195(1) of the CrPC के अनुसार संबंधित लोक सेवक द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट को लिखित शिकायत देना अनिवार्य है, जो इस मामले में नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने माना कि FIR में Section 353 of the IPC के तहत किसी भी हमले या आपराधिक बल के प्रयोग का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। इन आधारों पर, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

निर्णय उच्चतम न्यायालय ने माना कि यदि किसी शिकायत के लिए कानून में एक विशेष प्रक्रियात्मक बाधा (जैसे CrPC की धारा 195 के तहत लिखित शिकायत का अभाव) मौजूद है, तो भजन लाल के छठे दिशानिर्देश के तहत उस आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाएगा।

“As per clause (6), if there is an express legal bar engrafted in any of the provisions of the CrPC or the concerned Act under which the criminal proceedings is instituted, such proceeding can be quashed.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2025

स्रोत ESCR010000022025

07 Petitioner v. Respondent

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2017-12-18 • CRLP/9190/2016

यह मामला Section 482 Cr.P.C. के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका से संबंधित था। याचिकाकर्ता पर Sections 504 और 506 IPC के तहत आरोप लगाए गए थे, जो non-cognizable अपराध हैं। न्यायालय ने पाया कि पुलिस ने Section 155(2) Cr.P.C. का उल्लंघन करते हुए Magistrate से पूर्व अनुमति लिए बिना ही इन अपराधों की जांच की थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुलिस non-cognizable मामलों में Magistrate के आदेश के बिना जांच करने के लिए सक्षम नहीं है। इस प्रक्रियात्मक अनियमितता को गंभीर मानते हुए, उच्च न्यायालय ने Magistrate के समक्ष लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया।

निर्णय जब पुलिस ने बिना सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश के गैर-संज्ञेय अपराधों की जांच की हो, तो भजन लाल मार्गदर्शिका 4 के अनुसार यह कानूनी प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन है और ऐसी कार्यवाही रद्द किए जाने योग्य है।

“when the procedure adopted by the police is irregular, the trial cannot be proceeded with by the Magistrate since the police are incompetent. Therefore, the proceedings in C.C.No.20 of 2015 on the file of the Judicial First Class Magistrate, Mahabubnagar, for the offences punishable under Sections 504 and 506 IPC are hereby quashed.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2017

स्रोत HBHC010847732016

08 Hengo Bam v. The State of AP

GAUHATI HIGH COURT • 2025-03-19 • CRL.PETN./173/2024

यह मामला Basar P.S. Case No.22/2024 से संबंधित FIR को रद्द करने के लिए धारा 528 of the BNSS, 2023 के तहत दायर की गई एक संयुक्त याचिका है। याचिकाकर्ता पर दूसरी याचिकाकर्ता के घर में घुसने और उसके साथ दुर्व्यवहार का प्रयास करने का आरोप था। हालांकि, बाद में दोनों पक्षों ने आपसी समझौता कर लिया और शिकायतकर्ता ने FIR वापस लेने की इच्छा व्यक्त की। न्यायालय ने माना कि चूंकि पार्टियों के बीच समझौता हो गया है और अपराध सिद्ध होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। तदनुसार, न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली और संबंधित FIR को रद्द कर दिया।

निर्णय पक्षों के मध्य सौहार्दपूर्ण समझौते को देखते हुए और प्रथम दृष्टया किसी गंभीर अपराध की अनुपस्थिति में, अदालत ने धारा 528 BNSS के तहत मामले को जारी रखना प्रक्रिया का दुरुपयोग माना और एफआईआर रद्द कर दी।

“since the parties have decided not to proceed further with the case, in such a circumstance, allowing such a criminal proceeding to continue before the trial court, would be noting but an abuse of the process of the court. There is no possibility of future conviction in this case. This is a fit case for exercising power under Section 528 of the BNSS, 2023.”

GAUHATI HIGH COURT • 2025

स्रोत GAHC040013652024

09 Prithi Chand & Ors. v. State of Himachal Pradesh & Ors.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2025-07-30 • CRMM0/645/2025

यह मामला FIR को रद्द करने की याचिका से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ताओं पर सहकारी समितियों के ऑडिट के दौरान धोखाधड़ी, जालसाजी और गबन का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्होंने गबन की गई राशि जमा कर दी है और पार्टियों के बीच समझौता हो गया है, इसलिए कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। राज्य ने इसका विरोध करते हुए कहा कि गंभीर आपराधिक आरोप होने के कारण राशि जमा करने मात्र से याचिकाकर्ता अपराध से मुक्त नहीं हो जाते। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद कोई अंतिम निर्णय नहीं सुनाया, बल्कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के सिद्धांतों और FIR में जांच के दौरान हस्तक्षेप न करने के कानूनी मानदंडों की व्याख्या की।

निर्णय उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों की विवेचना और एफआईआर रद्द करने के भजन लाल मामले के विस्तृत न्यायशास्त्र की पुनरावृत्ति की।

“In the backdrop of the interpretation of the various relevant provisions of the Code under Chapter XIV and of the principles of law enunciated by this Court in a series of decisions relating to the exercise of the extraordinary power under Article 226 or the inherent powers under Section 482 of the Code... we give the following categories of cases by way of illustration wherein such power could be exercised”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2025

स्रोत HPHC010411952025

10 Vishesh Aggarwal & Ors. v. State of NCT of Delhi & Anr.

HIGH COURT OF DELHI • 2023-11-24 • CRL.M.C./2520/2023

यह मामला FIR को रद्द करने की याचिका से संबंधित है, जिसमें आरोप है कि याचिकाकर्ताओं ने जबरन वसूली (extortion) के उद्देश्य से शिकायतकर्ता और उसके कर्मचारी पर शारीरिक हमला किया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पक्षों के बीच समझौता हो गया है, इसलिए कार्यवाही बंद कर दी जानी चाहिए। हालांकि, न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि Section 384 of the IPC (extortion) जैसे गंभीर अपराधों में, जहां सार्वजनिक हित शामिल हो, केवल आपसी समझौते के आधार पर FIR को रद्द नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने Bhajan Lal और अन्य निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि जांच अभी चल रही है और प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, इसलिए हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।

निर्णय गंभीर सामाजिक प्रभाव वाले या लोक हित को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों में केवल निजी समझौते के आधार पर धारा 482 CrPC के तहत राहत नहीं दी जा सकती।

“Considering the facts and circumstances of the present case, this Court finds that the present case is not covered under the principles laid down in the case of Bhajan Lal (Supra), as the case in hand does not fall within the criteria mentioned in the said case.”

HIGH COURT OF DELHI • 2023

स्रोत DLHC010129982023

11 Gagandeep Singh v. State of H.P.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2025-06-23 • CRMM0/338/2024

यह मामला HPGST/CGST Act और IGST Act के तहत दर्ज एक शिकायत को रद्द करने की मांग से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं पर फर्जी फर्मों के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करके भारी कर चोरी करने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संबंधित कानूनों में गिरफ्तारी, जांच और शिकायत दर्ज करने के प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और ये धाराएँ असंवैधानिक हैं। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 4(2) और Section 5 of the Cr.P.C. के तहत, GST कानूनों के अंतर्गत कार्यवाही पर Cr.P.C. के प्रावधान लागू होते हैं। न्यायालय ने पाया कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है और याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने माना कि चूंकि संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, इसलिए धारा 482 CrPC / भजन लाल दिशानिर्देशों का लाभ देकर मामले को शुरुआत में ही निरस्त नहीं किया जा सकता।

“Where the allegations made in the first information report or the complaint, even if they are taken at their face value and accepted in their entirety do not prima facie constitute any offence or make out a case against the accused.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2025

स्रोत HPHC010147632024

12 Ena Sharma v. State of Himachal Pradesh

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2025-06-26 • CRMM0/242/2023

यह मामला Copyright Act, 1957 की Section 63 के तहत दर्ज एक FIR को रद्द करने की याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता पर आरोप था कि उसने प्रतिवादी की अनुमति के बिना उसके शोध पत्र की छवियों और सामग्री का उपयोग एक अन्य जर्नल में किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह विवाद मुख्य रूप से एक वैवाहिक विवाद का परिणाम है और सामग्री का उपयोग किसी कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि वह स्वयं शोध का हिस्सा थी। न्यायालय ने रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार किया। हालांकि, प्रदान किए गए पाठ में अंतिम आदेश का विवरण अधूरा है, लेकिन यह स्पष्ट है कि विवाद शोध पत्रों के लेखकत्व और कॉपीराइट स्वामित्व के दावों के इर्द-गिर्द केंद्रित है।

निर्णय मामले में अंतर्निहित शक्तियों के दायरे तथा भजन लाल सिद्धांतों की सीमाओं का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया।

“In the backdrop of the interpretation of the various relevant provisions of the Code under Chapter XIV and of the principles of law enunciated by this Court in a series of decisions relating to the exercise of the extraordinary power under Article 226 or the inherent powers under Section 482 of the Code”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2025

स्रोत HPHC010027602023

13 State of Odisha v. Pratima Mohanty

SUPREME COURT OF INDIA • 2021-12-11 • 2021 INSC 872

यह मामला Bhubaneswar Development Authority (BDA) के लोक सेवकों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके सरकारी भूखंडों को अपने रिश्तेदारों को कम दरों पर आवंटित करने के आरोपों से संबंधित है। इन पर Section 120B IPC और Prevention of Corruption Act, 1988 के प्रावधानों के तहत आपराधिक साजिश और कदाचार का आरोप था। उच्च न्यायालय ने कुछ आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को Section 482 Cr.P.C. के तहत यह कहकर रद्द कर दिया था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलट दिया और कहा कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों की विस्तृत जांच करके 'mini-trial' किया है, जो अनुचित है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी द्वारा charge-sheet दाखिल किए जाने के बाद, ऐसे गंभीर आरोपों में कार्यवाही को रद्द करना सही नहीं है।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि साक्ष्यों की सत्यता जांचने और विस्तृत गवाही का विश्लेषण करने का अधिकार केवल ट्रायल कोर्ट के पास है। धारा 482 के तहत कार्यवाही रद्द करना एक अपवाद होना चाहिए, न कि सामान्य नियम।

“At the stage of discharge and/or considering the application under Section 482 Cr.P.C. the courts are not required to go into the merits of the allegations and/or evidence in detail as if conducting the mini-trial. As held by this Court the powers under Section 482 Cr.P.C. is very wide, but conferment of wide power requires the court to be more cautious.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2021

स्रोत ESCR010005312021

14 V.V.S. Rama Sharma & Ors. v. State of U.P. & Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2009-04-15 • 2009 INSC 508

यह मामला LIC अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एक FIR को रद्द करने से संबंधित है। अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के बाहर के स्टाम्प विक्रेताओं से बीमा स्टाम्प खरीदकर राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई है, जिसके लिए उन पर Sections 420 और 409 of the Indian Penal Code तथा Sections 64 और 69 of the Stamp Act के तहत मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि स्टाम्प खरीद पर ऐसी कोई कानूनी रोक नहीं है।

निर्णय जब शिकायत के तथ्यों को पूरी तरह स्वीकार करने पर भी कानूनन कोई अपराध प्रदर्शित नहीं होता, तो न्यायालय को अभियुक्तों के उत्पीड़न को रोकने के लिए एफआईआर निरस्त कर देनी चाहिए।

“A complaint can be quashed where the allegations made in the complaint, even if they are taken at their face value and accepted in their entirety, do not prima facie constitute any offence or make out the case alleged against the accused. For this purpose, the complaint has to be examined as a whole, but without examining the merits of the allegations.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2009

स्रोत ESCR010008782009

15 Sofik Ali and 6 Ors. v. State of Assam

GAUHATI HIGH COURT • 2025-04-09 • CRL.PET./440/2025

यह मामला एक दुखद दुर्घटना से संबंधित है जहाँ गुवाहाटी में एक इमारत में मरम्मत कार्य के दौरान ईंट गिरने से एक 8 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने Section 105 of the BNS, 2023 के तहत FIR दर्ज की थी। याचिकाकर्ताओं (जिसमें मजदूर और इमारत के पदाधिकारी शामिल हैं) and पीड़िता की माँ ने आपस में समझौता कर लिया था और इसे एक अनजाने में हुई दुर्घटना माना। उच्च न्यायालय ने माना कि घटना स्पष्ट रूप से लापरवाही का मामला है और इसे Section 106 of the BNS, 2023 के तहत देखा जाना चाहिए था। पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए, न्यायालय ने Section 528 of the BNSS, 2023 के तहत अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए FIR को रद्द कर दिया।

निर्णय एक शुद्ध दुर्घटना (accidental occurrence) को आपराधिक रूप दिए जाने तथा दोनों पक्षों में सुलह हो जाने पर न्यायालय ने धारा 528 BNSS के तहत अपनी शक्तियों का विवेकपूर्ण प्रयोग करते हुए एफआईआर को निरस्त कर दिया।

“Under the given circumstances, this Court is of the opinion that there is no possibility of conviction of any person in the said criminal proceeding. Therefore, allowing such a proceeding to continue before the trial court would be nothing but an abuse of the process of the court. This is a fit case for exercising power under Section 528 of the BNSS, 2023.”

GAUHATI HIGH COURT • 2025

स्रोत GAHC010077002025

16 Pramod Sah v. State of H.P.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2025-06-30 • CRMM0/528/2025

यह मामला Section 420 of the IPC के तहत दर्ज एक FIR को रद्द करने की याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता, Pramod Sah, पर आरोप था कि उसने सेब की फसल खरीदने के बाद भुगतान नहीं किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मामले में समझौता हो गया है, इसलिए FIR को रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि Section 420 of the IPC के तहत अपराध Section 320 of the Cr.P.C. के अंतर्गत समझौते योग्य (compoundable) है। न्यायालय ने यह स्थापित किया कि जब कानून में कोई विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध हो, तो High Court को अपनी अंतर्निहित शक्तियों (inherent powers) का उपयोग नहीं करना चाहिए। तदनुसार, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को Trial Court के समक्ष समझौता करने का निर्देश दिया।

निर्णय यदि अभियुक्त के पास कानून के तहत अपनी शिकायत के समाधान के लिए पहले से ही एक विशिष्ट वैकल्पिक वैधानिक मार्ग (जैसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपराध का शमन/compounding) उपलब्ध है, तो धारा 482 CrPC/528 BNSS की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

“Where there is an express legal bar engrafted in any of the provisions of the Code or the concerned Act (under which a criminal proceeding is instituted) to the institution and continuance of the proceedings and/or where there is a specific provision in the Code or the concerned Act, providing efficacious redress for the grievance of the aggrieved party.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2025

स्रोत HPHC010320312025

17 Apoorva Arora & Anr. v. State (Govt. of NCT of Delhi) & Anr.

SUPREME COURT OF INDIA • 2024-03-19 • 2024 INSC 223

यह मामला 'College Romance' वेब-सीरीज़ में प्रयुक्त अभद्र भाषा और अपशब्दों के लिए धारा 67 और 67A of the Information Technology Act के तहत FIR दर्ज करने के खिलाफ था। निचली अदालतों ने इन अपशब्दों को अश्लील माना था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल अश्लीलता या अभद्र भाषा का होना 'obscenity' नहीं है। न्यायालय ने कहा कि अश्लीलता का परीक्षण यह है कि क्या सामग्री कामुक भावनाओं को उत्तेजित करती है या मन को भ्रष्ट करती है। चूंकि वेब-सीरीज़ का संदर्भ कॉलेज जीवन के युवाओं का था और इन शब्दों का प्रयोग गुस्से या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया गया था, न कि यौन उत्तेजना के लिए, इसलिए यह अश्लीलता की परिभाषा में नहीं आता। तदनुसार, न्यायालय ने FIR को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालयों को एफआईआर या शिकायत को तब अवश्य रद्द कर देना चाहिए जब उसमें लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया (on face value) किसी भी अपराध की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

“It is settled that a court must exercise its jurisdiction to quash an FIR or criminal complaint when the allegations made therein, taken prima facie, do not disclose the commission of any offence.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2024

स्रोत ESCR010001992024

18 Rajendra v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025-04-06 • NA528/11013/2025

यह मामला Criminal Procedure के तहत कार्यवाही को रद्द करने (quashing of proceedings) से संबंधित था। आवेदकों ने तर्क दिया कि FIR द्वेषपूर्ण है और एक जवाबी कार्रवाई (counter blast) के रूप में दर्ज की गई है। न्यायालय ने पाया कि पीड़ित को गंभीर चोटें आई थीं और FIR में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया (prima facie) एक अपराध का गठन करते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 528 BNSS के तहत साक्ष्यों की साराहना और तथ्यों के विवादों का निपटारा नहीं किया जा सकता, यह कार्य Trial Court का है। तदनुसार, न्यायालय ने आवेदकों की याचिका को खारिज कर दिया और कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया।

निर्णय तथ्य-आधारित दावों की विश्वसनीयता और सत्यता का परीक्षण धारा 528 BNSS के सीमित दायरे में संभव नहीं है, विशेष रूप से जब गंभीर चोटें और प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हों।

“Adjudication of questions of facts and appreciation of evidence or examining the reliability and credibility of the version, does not fall within the arena of jurisdiction under Section - 528 B.N.S.S. The application under Section - 528 B.N.S.S. lacks merit and thus, liable to be dismissed.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025

स्रोत UPHC011477852025

19 Mohinder Singh v. Chunni Lal Negi

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2025-06-06 • CRMM0/448/2025

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act के तहत लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मूल शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद, Section 256 of the Cr.P.C. के तहत कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जानी चाहिए थी। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता की मृत्यु होने पर मामले को खारिज करना अनिवार्य नहीं है। मजिस्ट्रेट के पास यह विवेक है कि वह कानूनी उत्तराधिकारियों को अभियोजन जारी रखने की अनुमति दे सकता है। तदनुसार, न्यायालय ने कार्यवाही रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता की मृत्यु मात्र से धारा 138 एनआई एक्ट का आपराधिक मामला निरस्त नहीं हो जाता, बल्कि मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है।

“Where there is an express legal bar engrafted in any of the provisions of the Code or the concerned Act (under which a criminal proceeding is instituted) to the institution and continuance of the proceedings and/or where there is a specific provision in the Code or the concerned Act, providing efficacious redress”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2025

स्रोत HPHC010297092025

20 Ravi Dev v. State of Uttarakhand

HIGH COURT OF UTTARAKHAND • 2024-11-21 • WPCRL/249/2024

यह मामला 2012 में एक संपत्ति विवाद के दौरान हुई हिंसा से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने अपने विरुद्ध दायर चार्ज-शीट और दंडाधिकारी द्वारा जारी सम्मन आदेश को रद्द करने की मांग की थी। विवाद 11 अक्टूबर 2012 को Dehradun स्थित एक संपत्ति पर कब्जे को लेकर हुआ था, जहाँ VHP के कार्यकर्ताओं और शिकायतकर्ता के परिवार के बीच झड़प हो गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह FIR प्रतिशोध में दर्ज की गई थी और पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की। न्यायालय ने इन तीन याचिकाओं को एक साथ सुना क्योंकि वे एक ही घटना से उत्पन्न हुए थे। चूँकि मामले का अंतिम निर्णय उपलब्ध नहीं है, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता समर्पण आदेश में न्यायिक विवेक की कमी और जांच में पक्षपात का आरोप लगा रहे थे।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब शिकायत के आधार पर कोई अपराध गठित ही न हो, तभी तथ्यों की समीक्षा करके एफआईआर रद्द की जा सकती है।

“Authority of the court exists for advancement of justice and if any attempt is made to abuse that authority so as to produce injustice, the court has power to prevent such abuse. It would be an abuse of the process of the court to allow any action which would result in injustice and prevent promotion of justice.”

HIGH COURT OF UTTARAKHAND • 2024

स्रोत UKHC010033642024

21 Shiv Prakash Singh v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025-07-03 • NA528/17508/2025

यह मामला Section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग से संबंधित है। आवेदकों ने तर्क दिया कि उनके और शिकायतकर्ता के बीच एक डिग्री कॉलेज के प्रबंधन को लेकर पुराना विवाद है, और यह मामला द्वेषपूर्ण तरीके से दर्ज किया गया है। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर अपराध के घटित होने का दावा किया। न्यायालय ने माना कि इन विवादों में तथ्यों का निर्धारण और साक्ष्यों का मूल्यांकन ट्रायल कोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए, न कि Section 528 BNSS के तहत। तदनुसार, न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया और आवेदन को खारिज कर दिया।

निर्णय भले ही पक्षों के बीच पुरानी रंजिश और मुकदमेबाजी हो, लेकिन यदि चिकित्सा साक्ष्य एवं प्रत्यक्षदर्शी किसी शारीरिक हिंसा की घटना का समर्थन करते हैं, तो धारा 528 BNSS के तहत मामला रद्द नहीं होगा।

“The submissions raised by learned counsel for the applicants call for determination on questions of fact, which may adequately be discerned / adjudicated only by the trial court. Even the submissions made on point of law can also be more appropriately gone into by the trial court. Adjudication of questions of facts and appreciation of evidence or examining the reliability and credibility of the version, does not fall within the arena of jurisdiction under Section 528 BNSS.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025

स्रोत UPHC012431522025

22 Vijay Kumar Ghai v. The State of West Bengal

SUPREME COURT OF INDIA • 2022-03-22 • 2022 INSC 326

यह मामला निवेश संबंधी विवाद के बारे में है जहाँ Respondent No. 2 ने निवेश के बदले शेयर न मिलने और IPO न आने पर Appellants के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल संविदा का उल्लंघन (breach of contract) आपराधिक मामला नहीं बनाता; धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा सिद्ध होना अनिवार्य है। इस मामले में, न्यायालय ने पाया कि शुरुआती स्तर से ही कोई भी कपटपूर्ण इरादा नहीं था। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता का अलग-अलग स्थानों पर FIR दर्ज करने का तरीका द्वेषपूर्ण पाया गया, जिसका उद्देश्य केवल Appellants को परेशान करना था। तदनुसार, न्यायालय ने Section 406, 420 और 120B IPC के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

निर्णय वाणिज्यिक विवाद को जानबूझकर आपराधिक मुकदमा बनाकर अभियुक्तों के उत्पीड़न के हथियार के रूप में उपयोग करना प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भजन लाल गाइडलाइन 7 के तहत निरस्त कर दिया।

“Where a criminal proceeding is manifestly attended with mala fide and/or where the proceeding is maliciously instituted with an ulterior motive for wreaking vengeance on the accused and with a view to spite him due to private and personal grudge... the High Court in its inherent powers is designed to achieve a salutary public purpose which is that a court proceeding ought not to be permitted to degenerate into a weapon of harassment or persecution.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2022

स्रोत ESCR010000712022

23 Sanjay Kumar Trivedi v. State of Chhattisgarh

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2025-09-16 • CRMP/858/2023

यह मामला FIR संख्या 68/2018 को रद्द करने के लिए दायर याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता, जो उस समय एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, पर परीक्षा प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया गया था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी का चयन नहीं हो पाया था। न्यायालय ने पाया कि कई विभागीय जांचों में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कदाचार नहीं पाया गया और वह चयन समिति का हिस्सा भी नहीं थे। न्यायालय ने माना कि FIR प्रतिवादी संख्या 2 की व्यक्तिगत नाराजगी से प्रेरित थी और इसमें कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। अंततः, न्यायालय ने State of Haryana v. Bhajan Lal के सिद्धांतों का पालन करते हुए कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने धारा 528 BNSS (पूर्ववर्ती 482 CrPC) के तहत कार्यवाही को रद्द किया, यह पाते हुए कि परीक्षा में धांधली की शिकायत केवल व्यक्तिगत कुंठा का नतीजा थी और इसमें कोई भी संज्ञेय अपराध नहीं बनता था।

“The entire basis of the FIR stems from the grievance of non-applicant No. 2 regarding non-selection of his wife, which cannot be the foundation of criminal prosecution... even if the allegations are taken at their face value, no prima facie offence is made out against the applicant. Continuation of the proceedings would amount to harassment and abuse of the process of law.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2025

स्रोत CGHC010121432023

24 Rajesh Parashar v. State of H.P.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2025-05-28 • CRMM0/1103/2024

यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा Sub Divisional Magistrate (SDM), Gagret के समक्ष लंबित कार्यवाही को रद्द करने की मांग से संबंधित है, जो Sections 107 और 150 of the Code of Criminal Procedure के तहत शांति भंग करने के आरोपों पर शुरू की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विवाद पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है और प्रतिवादी ने व्यक्तिगत रंजिश के कारण यह शिकायत दर्ज कराई है। न्यायालय ने स्थापित कानूनी सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि Section 482 of the Code of Criminal Procedure के तहत कार्यवाही को केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब शिकायत के तथ्यों को ज्यों का त्यों मानने पर भी कोई अपराध न बनता हो। चूंकि इस मामले में अतिरिक्त साक्ष्यों की आवश्यकता थी और ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही लंबित थी, न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी।

निर्णय न्यायालय ने माना कि शांति भंग की कार्यवाहियों में यदि अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता हो, तो धारा 482 CrPC के तहत सीधा हस्तक्षेप करना सही नहीं है।

“In the backdrop of the interpretation of the various relevant provisions of the Code under Chapter XIV and of the principles of law enunciated by this Court in a series of decisions relating to the exercise of the extraordinary power under Article 226 or the inherent powers under Section 482 of the Code... we give the following categories of cases by way of illustration wherein such power could be exercised”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2025

स्रोत HPHC010560292024

25 M/S Neeharika Infrastructure Pvt. Ltd. v. State of Maharashtra

SUPREME COURT OF INDIA • 2021-04-13 • 2021 INSC 253

यह मामला Criminal Procedure Code (CrPC) की धारा 482 और Constitution of India के अनुच्छेद 226 के तहत FIR रद्द करने की याचिकाओं के दौरान निचली अदालतों द्वारा दिए जाने वाले 'blanket interim orders' के संबंध में है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुलिस को संज्ञेय अपराधों की जांच करने का वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है, और न्यायालयों को जांच के शुरुआती चरणों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 'No coercive steps' जैसे आदेश बिना ठोस कारणों के नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि यह जांच प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। यदि आरोपी को

गिरफ्तारी का भय है, तो उसे CrPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का विकल्प अपनाना चाहिए। न्यायालय ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि जांच पूरी होने तक ऐसी अंतरिम सुरक्षा असाधारण मामलों में ही दी जानी चाहिए।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कानूनी सीमा तय की कि एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर करने मात्र से उच्च न्यायालय को "कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने" या "गिरफ्तारी न करने" के अंतरिम आदेशों की झड़ी नहीं लगानी चाहिए। ऐसे मामलों में अभियुक्त के पास अग्रिम जमानत का विशिष्ट मार्ग हमेशा उपलब्ध रहता है।

“Still in case a person is apprehending his arrest in connection with an FIR disclosing cognizable offence, as observed hereinabove, he has a remedy to apply for anticipatory bail under Section 438 Cr.P.C... blanket interim order of not to arrest or 'no coercive steps' cannot be passed mechanically and in a routine manner.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2021

स्रोत ESCR010002172021

अ स्वी कर ण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।